

राजस्थान सरकार  
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांक: प0 26(9)संसद/2014

जयपुर, दिनांक: 27-2-2018

:: परिपत्र ::

विषय:-दिनांक 06.03.2018 को राजस्थान वित्त विधेयक, 2018 एवं राजस्थान विनियोग संख्या-3) विधेयक, 2018 पर विचार एवं पारण के दौरान सदन में उपस्थित सुनिश्चित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के दशम सत्र में मंगलवार, दिनांक 06 मार्च, 2018 को राजस्थान वित्त विधेयक, 2018 एवं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018 पर सदन में विचार एवं पारण किया जाना नियत है। इस दौरान समस्त विभागों के प्रभारी सचिव (Secretary Incharge) की राजकीय दीर्घा में उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के निर्देश है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय; महानिदेशक पुलिस, महानिदेशक, जेल, महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अति. महानिदेशक, पुलिस (कानून एवं व्यवस्था) [ADG (Law & Order)] व प्रधान मुख्य वन संरक्षक [PCCF (HOFF)] भी उपस्थित रह सकेंगे। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं विधि विभाग के अन्य अधिकारीगण आवश्यकानुसार उपस्थित रह सकेंगे।

उपरोक्त अधिकारीगण के अतिरिक्त इस दौरान कोई भी सचिव या अन्य अधिकारी राजकीय दीर्घा में उपस्थित नहीं रहें, यह सम्बन्धित प्रभारी सचिव द्वारा सुनिश्चित किया जावे।

27/2/18  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, समस्त माननीय मंत्री/राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार)/राज्यमंत्रीगण, राज., जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
4. प्रभारी सचिव अति. मुख्य सचिव अथवा प्रमुख शासन सचिव अथवा शासन सचिव (जो भी वरिष्ठतम हो) समस्त प्रशासनिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. महानिदेशक, पुलिस/जेल/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/ADG (Law & Order), राज. जयपुर।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर।
8. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

27/2/18  
प्रमुख शासन सचिव